[signature]

11/11/19	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता उत्तरपक्ष उप। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा पूर्व में ही गही बहस में निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित किया गया है। पत्रावली के रूप कोर्ट में सुनवाई बाबत रखते समय अपीलांट को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई। P.T.	[signature] राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

हुक्म		हुक्म की तामील में जारी हुए
11/11/19	अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। ग्राम पुरटियों का गोलिया खसरा संख्या 866 रकबा 78.18 बीघा की बजाय सेटलमेंट विभाग द्वारा भूल से रकबा 61.07 बीघा खातेदारी में दर्ज किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट तलब नहीं कर केवल कोरम पूर्ति हेतु प्रकरण को जल्दबाजी में निस्तारण किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि विरुद्ध प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के विपरीत जारी किया जो काबिल निरस्त योग्य है अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे। अधिवक्ता अपीलांट ने धारा 05 म्याद अधिनियम प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय कैम्प कोर्ट दिनांक 26.05.17 सुनाया गया जबकि निर्णय देरी से लिखवाया गया। अपीलाधीन निर्णय की नकल दिनांक 11.10.17 को प्राप्त होने पर निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त हुई। जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर म्याद पेश है। अपीलांट की अपील अन्दर मियाद स्वीकार की जावे।	राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	175/2017 मोहनलाल बिशनाराम बनाम सरकार	
11/11/19	राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए निवेदन किया कि वक्त सेटलमेंट बाद ग्रेन्ट आराजी पर जितना कब्जा था उतने रकबे पर खातेदारी दे दी गई। रकबा कम ज्यादा करना सेटलमेंट विभाग द्वारा बाद सर्वे किया गया है कम ज्यादा रकबा सेटलमेंट द्वारा किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे। राजकीय अभिभाषक ने धारा 05 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर पेश की गई है मियाद का कोई कारण नहीं बताया गया। जबकि देरी के एक-एक दिन का कारण बताना होता है। अपील मियाद के बिंदु पर खारिज फरमाई जावे। सर्वप्रथम धारा 05 म्याद के बिंदु पर बहस सुनने एवं पत्रावली अवलोकन के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि अपील का निस्तारण तकनीकी बिंदु के आधार पर करने की बजाय गुणावगुण पर करना न्यायोचित है। लिहाजा न्यायहित में अपील अन्दर म्याद स्वीकार की जाती है। P.T.O.	

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील जारी हुए
	अपील संख्या 175/2017 भजनदान - शिवजीराम बनाम सरकार	
11/11/2019	अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वक्त सेटलमेंट जितने रकबे पर कब्जा काश्त था उतना रकबा खातेदारी में दे दिया गया है रकबा कम ज्यादा सेटलमेंट विभाग द्वारा वक्त सेटलमेंट किया गया उस समय अपीलांट द्वारा उजर एतराज नहीं किया गया। अपीलांट द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि संपूर्ण रकबे पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। उपरोक्त विवेचन एवं तर्कों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है। अतः अपीलांट की अपील साहीरन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर बाड़मेर द्वारा मु.सं. 12/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26/05/2017 को बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल हुआ है। मादवा मर इत्तलाह सुनाया गया।	11/11/19 राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner